राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. भंवरसिंह पुत्र बेरीसालसिंह जाति राजपूत निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1 खुमानसिंह पुत्र बिशनसिंह 2 वसनकंवर पत्नी बिशनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक सेड़वा। 4 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा धोरीमन्ना।

मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु.न. 300/2024

10/10/24 **प्रार्थी** भंवरसिंह पुत्र बेरीसालसिंह जाति राजपूत **निवासी** गंगासरा **तहसील** सेड़वा **जिला** बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **करनाराम कड़वासरा** वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो कि दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के संलग्न **तहसील सेड़वा के मौजा गंगासरा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू.अ.नि. फागलिया के खाता संख्या नया 80 के खसरा संख्या 927/787 रकबा 6.8958 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 983/787 रकबा 10.2628 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचार किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के परीक्षणोपरांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। **अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित की जाती है कि वे प्रार्थी को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा मौजा गंगासरा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू.अ.नि. फागलिया के खाता संख्या नया 80 के खसरा संख्या 927/787 रकबा 6.8958 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 983/787 रकबा 10.2628 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे, प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

न्यायालय द्वारा इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 19/12/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

22/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। चूंकि मुलवाद को जरिए राजीनामा [illegible] चुका है तो इस आवेदन को आगे [illegible] का कोई औचित्य नहीं है। अत [illegible] इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली केस शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मुलवाद के संलग्न हो।

ह. भंवरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:00:14 IST
Reason: SelfAttested